न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 52 / 2015
दायर दिनांक : 09 / 09 / 2015
निर्णय दिनांक : 18 / 12 / 2025

उनवान

1. श्यामूबाई पिता भेराजी गुर्जर निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर

प्रार्थी

बनाम

1. मु0 गांगीबाई पिता गोकल गुर्जर निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर
2. मु0 नारायणी पिता गोकल गुर्जर फौत के बजाय
   1. मु0 रतनी पिता नारायणी निवासी सुरपुरी तहसील कपासन
   2. मु0 सीता पिता नारायणी नि0 बडियार तहसील मावली
   3. मु0 अणछाई पिता नारायणी पत्नी रामलाल गुर्जर, निवासी कपासन
   4. मु0 अनूडी पिता नारायणी गुर्जर निवासी कांकरवा
   5. श्री लेहरू पिता गंगाराम गुर्जर निवासी कांकरवा
3. मु0 लेरीबाई पिता गोकल बेवा मोती गुर्जर निवासी पटोलिया हाल मुकाम कांकरवा
4. मु0 उदीबाई पिता गोकल पत्नी भंवरलाल गुर्जर निवासी खेमाखेडा तहसील मावली
5. मु0 केसी विधवा गोकल गुर्जर निवासी कांकरवा
6. पटवारी कांकरवा
7. उप पंजीयन भूपालसागर
8. तहसीलदार भूपालसागर

अप्रार्थीगण

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, जिला–चित्तौडगढ़

राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति : 1. श्री बालेंद्र कोठारी, अधिवक्ता प्रार्थी

: : निर्णय : :

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के प्रस्तुत किया, प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार हैं :

यह कि प्रार्थी ने उक्त अनवान का वाद पत्र न्यायालय में पेश किया है जो ठोस तथ्यों पर आधारित होने से अवश्य ही डिक्री होगा मगर कुलिया सुनवाई होकर निस्तारण में काफी समय लगेगा। इस कारण यह प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश है। ग्राम कांकरवा तहसील भूपालसागर के हल्के बैरूनी में स्थित खाता संख्या आ0न0 2097 रकबा 1.02 है0 आ0न0 2098 रकबा 0.43 है0 आ0न0 2100 रकबा 0.32 है0 आ0न0 2101 रकबा 0.80 है0 आ0न0 2570 रकबा 0.44 है0 आ0न0 3343 रकबा 0.02 है0 आ0न0 3367 रकबा 0.60 है0 आ0न0 3368 रकबा 0.03 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 3.66 है0 स्थित है एवं चा0हा0 न0 2568 रकबा 0.02 है0 स्थित है। वादगत आराजियात प्रार्थिया के दादाजी सोलाजी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजियात थी तथा सोलाजी के पुत्र भोराजी थे जिसकी मृत्यू भैरा के पिता सोला के जीवित रहते ही हो गई इस कारण से गोकल को सोला जी ने गोद पुत्र बनाया। तथा प्रार्थिया भैराजी की जाइंदा पुत्री है प्रार्थिया के अलावा भैरा जी के कोई उत्तराधिकारी नही है प्रार्थिया का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है:– सोला – भैरा – (श्यामुबाई, प्रार्थिया), (गोकल, गोदपुत्र) प्रार्थिया मृतक भैराजी की जायंदा पुत्री है तथा प्रार्थना पत्र की कालम 2 में वर्णित आराजियात पैतृक संपति है तथा पैतृक संपति होने के कारण संपूर्ण आराजियात में प्रार्थिया का 1 / 2 हिस्सा निहित है लेकिन मृतक गोकल ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर संपूर्ण आराजियात को धोखे से अपनी खातेदारी में दर्ज करा दिया जबकि प्रार्थिया भैराजी की जायंदा पुत्री होने के कारण संपूर्ण आराजियात में प्रार्थिया का 1 / 2 हिस्सा है। वर्तमान में वादगत आराजियात मृतक गोकल पिता सोला के नाम दर्ज है तथा प्रतिवादी सं0 एक व दो राजस्व कर्मचारियों से मिलकर के वादगत आराजियात को चुपके से अपने नाम नामांतरण खुलवा कर अन्य व्यक्ति को विकय करने पर आमादा है इसलिए पक्ष प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश जारी फरमाया जाकर जाकर के अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि प्रार्थना पत्र की [illegible] वर्णित आराजियात को अप्रार्थीगण स0 एक व दो राजस्व कर्मचारियों से मिलकर के चुपके [illegible] नामांतरण नही खुलवाने एवं अप्रार्थी संख्या 3 5 राजस्व रेकार्ड में कोई परिवर्तन [illegible] दस्तावेज विकयपत्र दानपत्र वसीयतनामा रहननामा [illegible] पंजीयन नही करे [illegible]कृत्य न तो अप्रार्थीगण स्वयं करे और न ही किसी व्यक्ति से भी करावें अस्थाई निषेधाज्ञा का [illegible] पक्षप्रार्थिया विरूद्ध अप्रार्थीगण जारी फरमाया जाना आवश्यक है अगर अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पक्ष प्रार्थिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.12.30 19:47:10 IST
Reason: SelfAttested

विरूद्ध अप्रार्थीगण जारी नही फरमाया गया और अप्रार्थीगण के द्वारा वादगत आराजियात को चुपके से अपने नाम पर दर्ज करा अन्य व्यक्ति को विक्रय कर दी तो प्रार्थिया को नुकसान होगा इसलिए अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश जारी पक्षप्रार्थिया विरूद्ध अप्रार्थीगण जारी फरमाया जाना आवश्यक है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को सम्मन नोटिस जारी किये गये। प्रार्थीगण संख्या 1 की ओर से वकील श्री के जी झंवर ने अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया। अप्रार्थी संख्या 2/1, से 2/5, 3, 4, 5 वाद सूचना उपस्थित नही आने से इनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा की गई। पैरोकार सरकार ने राजपक्ष प्रभावित नहीं होना अवगत कराया।

वकील उभयपक्ष एवं उपस्थित पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया, प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया एवं तथ्यो पर गहनतापूर्वक विचार किया।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन के पश्चात प्रार्थी सम्पूर्ण तथ्यों, बहस के आधार पर एवं प्रार्थीगण के प्रार्थना के तथ्य अनुसार प्रथम दृष्टया सुविधा सन्तुलन साबित कर पाऐ है तथा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी एवं न्यायिक दृष्टांत से प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मूल वाद के निस्तारण तक दोनों पक्ष राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाई रखेगें। निर्णय आज दिनांक 18.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, जिला-चित्तौड़गढ़

(महेश गगोरिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.12.30 19:47:10 IST
Reason: SelfAttested